न्यायालय सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोट ग्राम पंचायत : जयसिंहपुरा, कैम्प दिनांक 20.06.2018

पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या : 25/2014 दायर तारीख : 19.02.2014

1. सूंसा } पुत्रान कालाराम जाति कुम्हार निवासी जयसिंहपुरा
2. पप्पू } विराटनगर, जिला जयपुर

–– प्रार्थी/प्रतिवादी सं॰ 2, 4

बनाम

1. बनवारी
2. हरफूल } पुत्रान मन्ना } जाति कुम्हार निवासी जयसिंहपुरा
3. लल्लूराम } तहसील विराटनगर, जयपुर
4. कौशल्या देवी पत्नी मन्ना }

–– अप्रार्थीगण/वादीगण

5. घींसा पुत्र नानू
6. गिरधारी पुत्र कालाराम } जाति कुम्हार
7. बनारसी पुत्री कालाराम पत्नी अर्जुन } निवासी आंतेला
8. ग्यारसी पुत्री कालाराम पत्नी फूला }
9. भग्गूराम पुत्र बिरदूराम (फौत)

9/1. लल्लूराम
9/2. गिरधारी } पुत्रान भग्गूराम जाति कुम्हार
9/3. दौलतराम } निवासी जयसिंहपुरा, तहसील विराटनगर
9/4. बन्शी }

9/5. मगना पुत्री भग्गूराम पत्नी गिरधारी } जाति कुम्हार निवासी
9/6. छोटी पुत्री भग्गूराम पत्नी मानजी } बिलाली, तह॰ बानसूर

10. सुवालाल पुत्र बिरदूराम जाति कुम्हार निवासी जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर
11. रिसाल सिंह पुत्र महादेव सिंह } जाति राजपूत निवासी खेलना
12. गीता कंवर पत्नी रिसाल सिंह } तहसील कोटपूतली
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर
14. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर

–– अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15. प्रहलाद पुत्र चतरू
16. शोभा
17. महेन्द्र
18. जगमोहन
19. लाली
20. माया
21. सुशीला

(16 से 21) पिता प्रहलाद

(15 से 21) जाति कुम्हार, निवासी हरीपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

22. श्रवण
23. गोमती
24. धूपी

(22 से 24) पुत्रियां मन्ना जाति कुम्हार निवासी जयसिंहपुरा तहसील विराटनगर

—— <u>तरतीबी अप्रार्थीगण</u>

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 13 सपठित 151 सी.पी.सी. बाबत एकपक्षीय डिक्री उनवानी बनवारी वगैरह बनाम घींसा वगैरह दावा बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा तारीख निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर

उपस्थित : —श्री गणपतलाल पंसारी, अधिवक्ता प्रार्थी
श्री आनन्दसिंह शेखावत, अधिवक्ता अप्रार्थी सं॰ 1 से 3
श्री अवधेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता तरतीबी अप्रार्थी 22 से 24
पैरोकार सरकार

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र</u>

<u>निर्णय दिनांक :— 20.06.2018</u>

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 धारा 151 का निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 (वादीगण) ने एक वाद दिनांक 19.11.2009 को प्रार्थीगण एवं अन्य अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 12 एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 22 के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर के यहां मुकदमा नम्बर 115/2009 बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत हाल खसरा नम्बर 845/2.69, 846/2.11, 873/0.23, 874/0.09, 875/0.14 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 5.26 हैक्टेयर एवं हाल खसरा नम्बर 842/1.54, 843/0.83, 877/0.30, 965/0.30 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कब्जा 2.97 हैक्टेयर ग्राम जयसिंहपुरा उनवानी बनवारी वगैरह नाम घींसा वगैरह पेश किया था। न्यायालय ने दिनांक 19.11.2009 को प्रार्थी संख्या 1, 2 (प्रतिवादी संख्या 2 व 4) की तल्बी सम्मन नोटिस जारी किये गये उन सम्मनों को लेकर तामील कुनिन्दा कभी भी प्रार्थीगण के पास नहीं गया तथा न ही प्रार्थीगण ने उक्त तथाकथित सम्मन/नोटिस को लेने से इन्कार किया। तामील कुनिन्दा ने किसके सामने नोटिस को मकान पर चस्पा किया उन गवाहों के हस्ताक्षर या नाम पते भी नोटिस पर अंकित नहीं है, तामील कुनिन्दा ने सम्पूर्ण कार्यवाही पोशीदा रूप में फर्जी तैयार की है। इस प्रकार तामील कुनिन्दा ने मकान चस्पानगी की झूंठी रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को नाजायज लाभ पहूंचाने तथा प्रार्थीगण को नुकसान पहूंचाने की गरज से की है। इसलिए प्रार्थीगण को उक्त दावे की तारीख पेशी दिनांक 17.12.2009 तथा आगामी तारीख पेशीयों एवं एकपक्षीय डिक्री की जानकारी नहीं रही है। यह भी कि किसी भी आसामी की तामील इन्कारी से कराने कि स्थिति में तामील कुनिन्दा पर दायित्व विधि में है, उनकी अदालत ने सरासर अनदेखी करते हुए पहले एकपक्षीय आज्ञा एवं तत्पश्चात एकपक्षीय डिक्री पारित की है, जो अपास्त फरमाये जाने योग्य है। न्याय के सामान्य एवं प्राकृतिक सिद्धांतो के अनुसार भी प्रभावित पक्षकार प्रार्थीगण को सम्मन/नोटिस बाबत सुनवाई दिया जाना तथा उन्हें सूचित किया जाना विधिक रूप से आवश्यक तथा अपेक्षित था साथ ही उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने तथा जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर दिया जाना भी कानूनन आवश्यक होता है। इस प्रकार न्यायालय ने प्रार्थीगण को बिना सुनवाई का नोटिस/सम्मन दिये एवं अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये दिनांक 20.11.2012 को प्राथमिक डिक्री तथा उसके बाद दिनांक 11.12.2012 को अन्तिम निर्णय एवं डिक्री पारित है, उसे किसी भी कदर विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है। प्रार्थीगण को पर्याप्त सूचना नहीं मिलने से प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। जब अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 तथा अप्रार्थी संख्या 11, 12 ने प्रार्थीगण को उसके हिस्से व कब्जे की कृषि भूमि में आने–जाने के रास्ते में तथा फसल की सिंचाई करने हेतु रास्ते से होकर जमीन पर से पाईप लाईन ले जाने से मना किया तथा धमकी दी की हमने तो आपस में मिलकर बंटवारा करा कर हमारे आने–जाने का रास्ता निकाल लिया अब हम तुम्हें न तो आने–जाने देगें तथा न ही फसल में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सिंचाई करने हेतु पाईप लाईन से पानी ले जाने देगें, इस पर प्रार्थीगण ने दिनांक 05.02.2014 को न्यायालय से पत्रावली की नकल प्राप्त करने से उक्त तथ्यों की जानकारी से अन्दर मियाद प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः निवेदन है कि मनसूखी एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2012 मुकदमा नम्बर 115/2009 उनवानी बनवारी वगैरह बनाम घींसा वगैरह में पारित एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री को अपास्त फरमाया जाकर प्रार्थीगण को वाद की जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जावे।

3. प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी संवत् 2067–2070, नकल आदेशिका मु॰नं॰ 115/2009, नकल अन्तिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.12.2012, नकल प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2012, नकल वादपत्र उनवानी बनवारी वगैरह बनाम घींसा वगैरह, नकल सम्मन नोटिस बमुकदमा उनवानी बनवारी वगैरह बनाम घींसा वगैरह, नकल कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 06.12.2012, नकल जवाबदावा प्रतिवादी संख्या 1, 9, 10 उनवानी मुकदमा बनवारी वगैरह बनाम घींसा वगैरह, नकल शपथ पत्र गवाह वादी,
4. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।
5. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का जवाब रहा कि प्रार्थीगण ने जानबूझ कर तामील होने से बचने के लिए तामील कुनिन्दा से नोटिस नहीं लिए थे, जिससे उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही सही की गई है। तामील प्रक्रिया का पूर्णरूप से पालन किया जाकर ही प्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। उक्त वाद के प्रस्तुत होने बाद सुनवाई होकर दावे के निर्णय के लिए मौके की कुर्रेजात रिपोर्ट 11.12.2012 को करीब 3 साल बाद निर्णय हुआ है। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण ने महज तामील पर एतराज किया है, शेष प्रक्रिया में ओर भी पक्षकार है, वे भी तारीख पेशी पर आये है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को उक्त भूमि के सहखातेदार घींसा ने जमीन बेची है, और उसके बाद क्रेता भी पक्षकार मुकदमा बनाये गये है, इस तमाम प्रक्रिया की प्रार्थीगण को जानकारी रही है, परन्तु जानबूझ कर प्रार्थीगण अनुपस्थित रहे है। अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत मन्सूख किये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाने एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

6. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जयसिंहपुरा में पेश हुआ, मजमे आम सुनवाई की गई।
   प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को विस्तृत रूप से दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया।
7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 (वादीगण) ने एक वाद दिनांक 19.11.2009 को प्रार्थीगण एवं अन्य अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 12 एवं तरतीबी अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 22 के विरूद्ध मुकदमा नम्बर 115/2009 बंटवारा खातेदारी भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत हाल खसरा नम्बर 845/2.69, 846/2.11, 873/0.23, 874/0.09, 875/0.14 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 5.26 हैक्टेयर एवं हाल खसरा नम्बर 842/1.54, 843/0.83, 877/0.30, 965/0.30 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.97 हैक्टेयर ग्राम जयसिंहपुरा उनवानी बनवारी वगैरह बनाम घींसा वगैरह पेश किया। न्यायालय ने दिनांक 19.11.2009 को प्रार्थी संख्या 1, 2 (प्रतिवादी संख्या 2 व 4) की तल्बी सम्मन नोटिस जारी किये गये, प्रार्थी/प्रतिवादीगण की तामील का अवलोकन करने पर पाया गया कि उनकी तामील स्वयं द्वारा लेने से मना करने पर मकान पर चस्पा किये जाने से हुई है। प्रकरण की समस्त जानकारी होने तथा न्यायालय में हाजिर होने उपरान्त प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा चाराजोही नहीं करने पर दिनांक 08.04.2010 को न्यायालय द्वारा एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई, जिसे विधिसंगत एवं न्यायसंगत पाता हूँ। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने यह बात स्पष्ट नहीं की है कि प्रार्थी को क्यों कर प्रकरण की जानकारी नहीं हुई, जबकि तथाकथित वाद दिनांक 19.11.2009 को दायर होने बाद करीब 4 साल सुनवाई में नियत रहा तथा प्रकरण में दिनांक 20.11.2012 को प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित हुई, जिसके बाद राजस्व कर्मचारियों ने मौके पर उपस्थित होकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके आधार पर प्रकरण दिनांक 11.12.2012 को अन्तिम निर्णय/डिक्री किया गया है। प्रकरण अन्तिम निर्णय एवं डिक्री किये जाने से लेकर हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश करने की अवधी दिनांक 19.02.2014 करीब 13 महिने तक भी अपने वकील से क्यों नहीं मिले का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है, महज तामील नहीं होने का कथन कर देने से

Web Copy Not Official

एकपक्षीय डिक्री अपास्त नहीं की जा सकती है। तथाकथित वाद में प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की तलबी हुई है एवं प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण ने महज तामील पर एतराज किया है, शेष प्रक्रिया में ओर भी पक्षकार है, वे भी तारीख पेशी पर आये है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को उक्त भूमि के सहखातेदार घींसा ने जमीन बेची है, और उसके बाद क्रेता भी पक्षकार मुकदमा बनाये गये है, इस तमाम प्रक्रिया की प्रार्थीगण को जानकारी रही है, ऐसे में तामील नहीं होने का कथन गलत है। तामील के संबंध में प्रार्थी/प्रतिवादी के अभिकथनों मे सार नहीं पाता हूॅ। प्रकरण में प्रार्थी को अपना पक्ष रखने जवाबदावा पेश करने का पूर्ण अवसर दिया गया, फिर भी प्रार्थी द्वारा अपना प्रतिरक्षण नहीं किया गया। जहां तक प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रश्न है, प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मियाद बाहर पेश किया है, इसके संबंध में DNJ 2008 (2) में स्पष्ट उल्लेखित है कि '' सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 आदेश 9 नियम 13 परिसीमा अधिनियम, 1963 अनुच्छेद 123 एकपक्षीय डिक्री को अपास्त किया जाना–एकपक्षीय डिक्री को अपास्त किये जाने का आवेदन दायर किये जाने के लिए 30 दिनों की अवधि, डिक्री की तिथि से लागू होगी–जहां तक कि जानकारी की तिथि का प्रश्न है वह, वही सुसंगत है, जहां पर सम्मन तथा नोटिस की सम्यक तामिल नहीं हुई हो–इस मामले में आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत आवेदन, परिसीमा अवधि बीतने के पश्चात बिना देरी की क्षमा के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन के दायर किया गया–निर्णित, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत आवेदन के अभाव में देरी को क्षमा नहीं किया जा सकता। प्रार्थीगण को प्रकरण की सम्पूर्ण जानकारी रही है। दावा के समस्त पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया है। दावा दिनांक 11.12.2012 को सही रूप से निर्णय डिक्री किया गया है। अब पुनः उसी विषय पर सुनना तथा प्रकरण को फैसल करना पक्षकारो के मध्य विवाद को बढावा देने तथा वादों की बहुलता को बढाने में सहायक होगा। अतः वाद की बहुलता को रोकने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना न्यायसंगत पाता हूॅ।

8. समस्त तथ्यों के अवलोकन के उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूॅ एवं पूर्णतः सन्तुष्ट हूॅ कि प्रश्नगत वाद में प्रार्थी की सम्यक तामील हुई, तथा उसे वाद की सम्पूर्ण जानकारी रही है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवसर दिये हैं, परन्तु उन अवसरों का प्रतिवादी द्वारा लाभ नहीं उठाया गया, विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.12.2012 पूर्णतया विधिसम्मत है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वाद संख्या 115/2009 उनवानी बनवारी वगैरह बनाम घींसा वगैरह मे दिनांक 11.12.2012 को पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त/मन्सूख किया जाना उचित नहीं पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र बाबत मन्सूखी एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 1.12.2012 बमुकदमे संख्या 115/2009 उनवानी बनवारी वगैरह बनाम घींसा वगैरह अस्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय मजमा–ए–आम में दिनांक 20.06.2018 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर